

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या - प्राविण/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञापन:-

अधिकार प्राविण तबनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/बार्मेसी कार्यालय ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा सारीय तबनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 09/08/2021 को परिषद कार्यालय ने सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि अदि अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:

संस्था का कोड एवं नाम : 4897-RAM NAGINA COLLEGE OF PHARMACY VILL-JAICHANDCHAK,POST-BASUCHAK,TEHSIL- SAIDPUR,GHAZIPUR 233306

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनाली 1992, संशुद्ध विनियमनाली 2015 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इलाहा पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय सार्नेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शसन द्वारा निर्मित शर्तों के अतिरिक्त शर्तें प्रस्तावित की जा सकती हैं, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। जिस निर्धारण समिति द्वारा सैद्धिक सत्र 2021-22 हेतु फीस का पूर्वनिर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाने) विनियमनाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संपूर्ण प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ: दिनांक: 15-8-2020

:-कार्यालय ड्राफ:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मैसी पाठ्यक्रम जोड़क इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने को उपराल प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आर्सेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बंदी पर विचार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त को अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक सं-मद-3 में डिप्लोमा इन कार्मैसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा यान विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

" निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन कार्मैसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथानव् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहुत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु गिम्बकित स्तरी को अर्सेदित पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई० /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4887	एम सीएस डीकेड जॉय कार्मैसी, मीरपुर, मीरपुर।	डिप्लोमा इन कार्मैसी	50	50

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आईसीटीआई/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था प्रगत प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एस्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद डिप्लोमावाली 1962, मीरपुर डिप्लोमावाली-2018 तथा अन्य विनियम विषयों एवं आर्सेदों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन बर्षों इर्सेद पाठ्यक्रमों हेतु रु० 20,100.00/- प्रतिवर्ष, दो बर्षों कार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो बर्षों पाठ्यक्रमों (दो बर्षों कार्मैसी पाठ्यक्रम को अतिरिक्त) हेतु रु० 22,500.



**आदर्श
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद
बंगलूर प्रदेश, लखनऊ।**

संख्या- प्रशिक्ष/प्रथमिक सामग्रिया/2019/1130

लखनऊ दिनांक 13-3-2019

-संघर्षात्मक ज्ञान-

अखिल भारतीय सर्वोच्च शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक रूप से 2018-20 हेतु विभिन्न शैलीय सामग्रीयों का प्रदान संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ के सम्बन्धित/सम्बन्धित विभाग प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-3-2019 को आकाश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा लखनऊ की सम्बन्धित में परिषद सर्वोच्च में बैठक आयोजित हुई। बैठक में सत्र 2018-20 हेतु आवेदित नए सामग्रीयों के सम्बन्धित/पूर्व से सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बन्धित विभाग/सामग्रीयों/प्रवेश इत्यादि सूची/कमी हेतु सत्र 2018-20 हेतु सम्बन्धित प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बन्धित संस्था की बैठक को सत्र-18 में विभिन्न इन सामग्रीयों पर उपरोक्त सम्बन्धित करने वाली नई संख्या का प्रकाशन प्रकाशित। सम्बन्धित समिति द्वारा प्रदान विभाग-विभागों का विभिन्न विभाग लिया गया।

समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया कि ऐसी व्यवस्थागत विभिन्न विभागों का शैलीय संस्थाओं को एडवार्डसीटीआई एवं पीसीआई द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, एवं परिषद की निर्देशन समिति द्वारा निर्देशनगत एडवार्डसीटीआई द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुरूप सत्र 2018-20 हेतु परिषद को सम्बन्धित प्रदान किये जाने हेतु संसुति प्रदान की जाती है, कि संसुति में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वोच्च में संस्थाओं को सत्र 2018-20 हेतु परिषद को सम्बन्धित प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

इस निम्नानुसार सर्वोच्च संस्था को परिषद की निर्देशन समिति एवं विभाग-विभाग द्वारा की गयी संसुति तथा सम्बन्धित समिति द्वारा किये गये निर्णय के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2018-20 हेतु विभिन्न सामग्रीयों के अन्तर्गत प्रकाशन का प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

क्र. सं.	संस्था सं.	संस्था का नाम	प्राथमिक का नाम	एडवार्डसीटीआई/पीसीआई द्वारा सत्र 2018-20 में अनुमोदित प्रदान	परिषद द्वारा सत्र 2018-20 में अनुमोदित प्रदान
1	4307	राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद, नैनीताल	विभिन्न इन सामग्रीयों	12	10

सम्बन्धित हेतु सूची

- ✓ संस्था एडवार्डसीटीआई द्वारा निर्देशन की गयी सूची का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं लखनऊ तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किये गये निर्णय (एक आवेदन का अनुमोदन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क गीन शैलीय पाठ्यक्रमों (एक वर्षीय शैलीय पाठ्यक्रम सहित) हेतु रु०- 45,000.00/- प्रथम वर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु रु०- 22,000.00 शुल्क की प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रदान किया जायेगा। उपरोक्त की अतिरिक्त छात्रों के शुल्क के सम्बन्ध में समन्वय-समय पर आदान-प्रदान द्वारा निर्णय किये जाने वाले सम्बन्धित प्रथाओं हों, और अनुमोदन आवेदों की प्रदान आभारपूर्ण होगा। प्रथम निर्देशन समिति द्वारा सत्र 2018-20 हेतु प्रथम का पुनर्निर्धारण किया जाता है, कि प्रथम की गयीकरण की जायेगी।